

कृषकों की विभिन्न स्थितियों का अध्ययन (राजगढ़ एवं विदिशा के विशेष संदर्भ में)

मुकेश शाक्यवार* डॉ. सुनील आडवानी** डॉ. वर्षा रानी मेहतो***

* सहायक प्राध्यापक, ने.सु.बोस शासकीय महाविद्यालय, ब्यावरा एवं शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

** सहायक प्राध्यापक, बाल कृष्ण शर्मा नवीन शासकीय महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.) भारत

*** सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, लटेरी (म.प्र.) भारत

शब्द कुंजी—कृषकों से प्राप्त सूचनाओं का प्राथमिक संबंधों के रूप में अध्ययन – राजगढ़ जिले एवं विदिशा जिले क्षेत्र के कृषकों की स्थितियों का अध्ययन।

प्रस्तावना— वर्तमान शोध पत्र अध्ययन में विदिशा जिले की लटेरी कृषि उपज मंडी क्षेत्र के कृषकों के तथा राजगढ़ जिले के ब्यावरा कृषि उपज मंडी क्षेत्र के कृषकों पर केंद्रित करते हुए उनके द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। जिसके लिए विदिशा जिले की लटेरी कृषि उपज मंडी क्षेत्र के 150 कृषकों का तथा राजगढ़ जिले की ब्यावरा कृषि उपज मंडी क्षेत्र के 200 कृषकों का दैवनिर्दर्शन विधि के माध्यम से कृषकों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीति तथा कृषि संबंधी विभिन्न गतिविधियों के साथ-साथ कृषि विपणन से संबंधित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कृषकों से निजी स्तर पर विविध गतिविधियों की प्रतिक्रिया जानी गई। इसके लिए अनुसूची/प्रश्नावली का उपयोग करते हुए विस्तार से विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण हेतु आवश्यकता अनुसार सांख्यिकी विधि का उपयोग किया गया है। जिसे निष्कर्ष के रूप प्रदर्शित किया गया है।

कृषकों की पारिवारिक एवं सामाजिक स्थिति – कृषक वर्ग मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित होते हैं। जो अपनी पारंपरिक गतिविधियों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। इसके बावजूद जीविका के लिए कृषि से जुड़ी हुई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष गतिविधियों से संबंधित रहते हैं। जो रोजगार का मुख्य आधार होता है। इस प्रकार आर्थिक विकास में विविध प्रकार के कृषि से जुड़े आधुनिक तकनीक का समावेश किया गया है। जो कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार की सतत् संभावना बनी रहती है। इसके लिए कृषकों द्वारा अपनाये गये संसाधनों के उपयोग से पारिवारिक एवं सामाजिक परिवर्तन देखा गया है। समाज के आधुनिकीकरण के चलते कृषक वर्गों में नवाचार की प्रवृत्ति विकसित होने लगी है। जो कृषि के लिए नई-नई विधि एवं तकनीक का उपयोग करके व्यक्तिगत स्तर पर जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। यह कृषकों के आत्मनिर्भरता की पहचान है।

कृषकों की आयु की स्थिति— भारतीय पारंपरिक अर्थव्यवस्था में कृषकों की आयु महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे-जैसे आयु में वृद्धि होते चले जाती है। वैसे-वैसे परिपक्वता का स्तर भी बढ़ता है। वास्तव में आयु से परिपक्वता

अनुभव तथा समझ परिलक्षित होती है। इस प्रकार आयु के परिवर्तन से जवाबदेही भी निर्धारित होती है। कृषकों की आयु की विवेचना तालिका क्रमांक 01 में स्पष्ट किया गया है—

तालिका क्रमांक 01: कृषकों की आयु की स्थिति

आयु की स्थिति (वर्ष)	आवृत्ति	प्रतिशत
20-तक	19	5.43
21-30	72	17.71
31-40	145	41.43
41-50	91	26.00
51 से अधिक	33	9.43
कुल	350	100.00

स्रोत— प्राथमिक समंक

df = 4 का 5 प्रतिशत स्तर

$X^2 = 9.49$ $T > 41.22$ सार्थकता

अतः परिणाम में निर्भरता है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषि उपज मंडी में उपज के विपणन की दृष्टि से 5.43 प्रतिशत कृषक 20 वर्ष तक के 17.71 प्रतिशत कृषक 21 से 30 वर्ष तक के 41.43 प्रतिशत कृषक 31 से 40 वर्ष तक के 26 प्रतिशत 41 से 50 वर्ष तक तथा 9.43 प्रतिशत कृषक 51 वर्ष से अधिक पाए गए।

अध्ययन में पाया गया है कि कृषक वर्ग द्वारा अपनी उपज के विपणन के लिए कृषि उपज मंडी में ले जाते हैं। इसके लिए कृषक वर्ग द्वारा मूल्य परिवर्तन का अधिक ध्यान रखते हैं। इसलिए ज्यादातर कृषक 30 से 40 वर्ष आयु वर्ग के कृषक कृषि विपणन के संबंध में बेहतर अनुभव रखते हैं। इस प्रकार कोई वर्ग परीक्षण से परिणामों में सार्थकता पाई गई है। अर्थात् आयु परिवर्तन के साथ-साथ अनुभव एवं जानकारी कृषकों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कृषकों की जाति वर्ग की स्थिति— ग्रामीण जनसंख्या का बड़ा भाग कृषि से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। जिसमें प्रत्येक वर्ग का योगदान कृषि के रूप में महत्वपूर्ण रहा है। कृषकों की विविध गतिविधियों वर्ग विशेष से नहीं जोड़ी जाती। बल्कि उनके द्वारा कृषि क्षेत्र में दिए गए योगदानों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। चाहे भूमि धारक कृषक हो कृषि मजदूर

होए सीमांत कृषक हो, भूमिहीन कृषक होए सभी जाति वर्ग के कृषकों को महत्वपूर्ण योगदानों के रूप में दर्शाया जाता है। इस प्रकार अध्ययन की दृष्टि से कृषकों की जाति वर्ग को तालिका क्रमांक 02 में स्पष्ट किया गया है।

क्रमांक 02: कृषकों की जाति वर्ग की स्थिति

स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
सामान्य वर्ग	77	22.00
पिछड़ा वर्ग	112	32.00
अनुसूचित जाति	92	26.29
अनुसूचित जनजाति	70	19.71
कुल	350	100.00

स्रोत-प्राथमिक समंक

df = 3 का 5 प्रतिशत स्तर पर

$X^2 = 7.82$ P 3.97 सार्थकता का अभाव

अतः परिणाम में स्वतंत्रता है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषि विपणन की दृष्टि से कृषकों की जाति वर्ग में 22.00 प्रतिशत कृषक सामान्य वर्ग के 32.00 प्रतिशत कृषक पिछड़ा वर्ग के 26.29 प्रतिशत कृषक अनुसूचित जाति वर्ग के तथा 19.71 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग के पाए गए।

अध्ययन में पाया गया है कि पारंपरिक दृष्टि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर होती है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य निवासी कृषि को अपनी जीविका का प्रमुख साधन मानते हैं। क्योंकि अध्ययन में पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत सर्वाधिक कृषक पाए गए काई वर्ग प्रशिक्षण की दृष्टि से परिणाम में सार्थकता का अभाव पाया गया है। अर्थात् प्रत्येक जाति वर्ग के व्यक्ति अपनी जीविका के लिए कृषि संसाधन को अपनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं।

कृषकों के परिवार के स्वरूप की स्थिति- भारतीय पारंपरिक अर्थव्यवस्था में परिवार के सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि भारतीय समाज परिवार पर केंद्रित होता है। जहां व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण होता है। परिवार के स्वरूप को दो भागों में विभाजित करते हुए अध्ययन में शामिल किया गया है। प्रथम. एकाकी परिवार जिसमें पति, पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते हैं। जबकि द्वितीय. संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के रक्त संबंध अधिक होता है। जहां सभी सदस्य मिलकर एक ही चूल्हे का बना हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। परिवार में पति-पत्नी के अतिरिक्त माता-पिता, भाई-बहन साथ ही भाई की पत्नी एवं उनके बच्चे शामिल होते हैं। इस प्रकार संयुक्त रूप से परिवार का जीवन यापन चलता है। परिवार के स्वरूप की विवेचना तालिका क्रमांक 03 में स्पष्ट किया गया है-

तालिका क्रमांक 03: कृषकों के परिवार के स्वरूप की स्थिति

स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
एकाकी परिवार	211	60.29
संयुक्त परिवार	139	39.71
कुल	350	100.00

स्रोत- प्राथमिक समंक

df = 3 का 5 प्रतिशत स्तर पर

$X^2 = 3.84$ T > 4.24 सार्थकता

अतः परिणाम में निर्भरता है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि ग्रामीण परिवार के स्वरूप की दृष्टि से 60.29 प्रतिशत कृषक वर्ग एकाकी परिवार स्वरूप के दायरे में आते हैं तथा 39.71 कृषक वर्ग संयुक्त परिवार के दायरे में आते हैं।

अध्ययन में पाया गया कि वर्तमान उदारीकरण के दौर में परिवार के स्वरूप में काफी परिवर्तन आया है व्यक्ति अपनी जीविका चलाने के लिए अन्य क्षेत्रों में रोजगार स्थापित करने का प्रयास करता है। जिसके आधार पर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का सतत रूप से लगा रहता है। इस प्रकार का वर्ग प्रशिक्षण से परिणाम में सार्थकता पाई गई है। अर्थात् आर्थिक बदलाव के चलते किसी ने किसी रूप में व्यक्ति अपने परिवार पर निर्भर रहता है।

कृषकों के परिवार में सदस्यों की संख्या की स्थिति- कृषक परिवारों में कृषि संबंधी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में परिवार के मुखिया के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का योगदान भी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जो सदस्य बच्चों को छोड़कर शामिल है। वे अपने पारिवारिक एवं परंपरागत कार्य को नित गति से करते हैं। इस प्रकार परिवार में सदस्यों की संख्या भी आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ-साथ अन्य सामाजिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिसकी विवेचना तालिका क्रमांक 04 में स्पष्ट किया गया है-

तालिका क्रमांक 04: कृषक परिवार में परिवार सदस्यों की संख्या की स्थिति

सदस्य संख्या की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
5 से कम	73	20.86
6 से 8	111	31.71
9 से 11	05	30.00
12 से अधिक	161	17.43
कुल	350	100.00

स्रोत- प्राथमिक समंक

df = 3 का 5 प्रतिशत स्तर पर

$X^2 = 7.82$ P 5.78 सार्थकता का अभाव

अतः परिणाम में स्वतंत्रता है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषकों के परिवार में सदस्यों की संख्या की दृष्टि से 20.6 प्रतिशत कृषकों के परिवार में 5 सदस्य तक 31.71 प्रतिशत कृषकों के परिवार में 6 से 8 सदस्य 30.00 प्रतिशत कृषकों के परिवार में 9 से 11 सदस्य 17.43 प्रतिशत कृषकों के परिवार में 12 से अधिक सदस्य पाए गए।

अध्ययन में पाया गया है कि कृषक परिवार की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के लिए परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है परिवार में जितने अधिक सदस्य आर्थिक गतिविधियों से जुड़े होते हैं परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर होती है। इस प्रकार काई वर्ग परीक्षण से परिणाम में सार्थकता का अभाव पाया गया है। अर्थात् परिवार के सदस्यों द्वारा जो भी आय अर्जित की जाती है। वह पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है।

कृषकों की शैक्षणिक स्थिति- प्रत्येक गतिविधियों के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वर्तमान में कृषि के क्षेत्र में शिक्षा के बढ़ते प्रभाव के कारण नए-नए प्रयोग होते रहे हैं। चूंकि कृषि कार्य के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बावजूद कृषि में उपयोग आने वाली नवीन तकनीक तथा कृषि उपज के विपणन संबंधी गतिविधियों इत्यादि के लिए शैक्षणिक योग्यता का होना चाहिए। जिससे कृषक वर्ग अपने अनुभव के साथ-साथ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कृषि की बेहतर प्रक्रिया को अपना सके। जिसकी विवेचना तालिका क्रमांक 05 में स्पष्ट किया गया है-

तालिका क्रमांक 05: कृषकों की शैक्षणिक स्थिति

स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
अशिक्षित	45	12.86
प्राथमिक शिक्षा	59	16.86
माध्यमिक शिक्षा	129	36.86
हायर सेकेंडरी शिक्षा	66	18.16
उच्च/अन्य शिक्षा	51	14.56
कुल	350	100.00

स्रोत- प्राथमिक समंक

df = 3 का 5 प्रतिशत स्तर पर

$X^2 = 9.49 T > 18.79$ सार्थकता

अतः परिणाम में निर्भरता है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषकों के शैक्षणिक स्थिति की दृष्टि से 12.86 प्रतिशत कृषक अशिक्षित पाए गए 16.86 प्रतिशत कृषक प्राथमिक स्तर तक शिक्षित पाए गए 36.86 प्रतिशत कृषक माध्यमिक स्तर तक शिक्षित पाए गए 18.86 प्रतिशत कृषक हायर सेकेंडरी तक शिक्षित पाए गए तथा 14.56 प्रतिशत कृषक उच्च एवं अन्य स्तर पर शिक्षित पाए गए।

अध्ययन में पाया गया है कि भारतीय पारंपरिक कृषि में किसी भी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। परंतु वर्तमान आधुनिक तकनीक के उपयोग के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण मानी गई है। वर्तमान में कृषि के बदलते स्वरूप में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है इस प्रकार कोई वर्ग परीक्षण से परिणाम में सार्थकता पाई गई है। अर्थात् शिक्षा का प्रत्येक स्तर किसी ने किसी स्थिति में एक दूसरे से जुड़ा होता है। जो कृषि कार्य से लेकर उपज के विपणन तक महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

कृषकों की वार्षिक आय की स्थिति- परंपरागत ग्रामीण व्यवसाय में जीविका के लिए कृषि का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। परंतु वर्तमान की अपेक्षा पूर्व में कृषकों की स्थिति एवं जीविका मानसून पर निर्भर रहती थी वर्तमान में कृषकों की स्थिति में काफी परिवर्तन देखा गया है। अर्थात् सिंचाई संसाधनों की विकास के कारण जीविका के तौर तरीकों में काफी परिवर्तन आया है। इसी के चलते कृषकों की वार्षिक आय का मूल्यांकन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जिसकी विवेचना तालिका क्रमांक 06 में स्पष्ट की गई है-

तालिका क्रमांक 06: कृषकों की वार्षिक आय की स्थिति

स्थिति (लाख रुपए)	आवृत्ति	प्रतिशत
1 लाख रुपए तक	71	20.29
1 से 3 लाख रुपए तक	149	42.57
3 से 5 लाख रुपए तक	94	26.86
5 लाख रुपए से अधिक	36	10.28
कुल	350	100.00

स्रोत- प्राथमिक समंक

df = 3 का 5 प्रतिशत स्तर

$X^2 = 7.82 T > 22.05$ सार्थकता

अतः परिणाम में निर्भरता है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषकों की वार्षिक आय की दृष्टि से 20.29 प्रतिशत कृषकों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए तकए 42.57 प्रतिशत कृषकों की वार्षिक आय 1 से 3 लाख रुपए तकए 26.86 प्रतिशत कृषकों की वार्षिक आय 3 से 5 लाख रुपए तक तथा 10.28 प्रतिशत कृषकों की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक पाई गई है।

अध्ययन में पाया गया है कि कृषकों की औसत आय सामान्य रूप से समान रूप से नहीं पाई गई है। प्रत्येक कृषकों की वार्षिक आय अलग-अलग होती है। इस प्रकार जीवन यापन के लिए आय का दायरा जितना अधिक होता है जीवन स्तर उतना बेहतर माना जाता है। जिससे जिससे रोटीए कपड़ा और मकान के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी आय का साधन अनिवार्य होता है। इसी दृष्टि से कोई वर्ग परीक्षण से परिणाम में सार्थकता पाई गई है अर्थात् होने वाली आई उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती है।

कृषकों की आवासीय स्थिति- व्यक्ति के जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान अति आवश्यक माना गया है इसके बावजूद भी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं पहचान के लिए रहने के लिए मकान महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति को सामाजिक स्थिति का निर्धारण करता है और व्यक्तिगत पहचान तय करने में मददगार होता है। आवासीय स्थिति के अंतर्गत तीन स्तर पर विभाजित किया गया है। जिसमें पक्का मकान कच्चा मकान एवं अर्ध पक्का मकान इत्यादि के रूप में शामिल किया गया है। जिसकी विवेचना तालिका क्रमांक 07 में स्पष्ट किया गया है-

तालिका क्रमांक 07: कृषकों की आवासीय स्थिति

आवास की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
पक्का मकान	90	25.71
अर्द्ध-पक्का मकान	183	52.29
कच्चा मकान	77	22.00
कुल	350	100.00

स्रोत- प्राथमिक समंक

df = 3 का 5 प्रतिशत स्तर

$X^2 = 5.99 T > 17.25$ सार्थकता

अतः परिणाम में निर्भरता है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषकों के आवास की दृष्टि से 25.75 प्रतिशत कृषकों के पक्के मकान पाए गए 52.29 प्रतिशत कृषकों के अर्द्ध पक्का मकान पाए गए तथा 22.00 प्रतिशत कृषकों के कच्चे मकान पाए गए।

अध्ययन में पाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोटी और कपड़ा के अलावा आवास महत्वपूर्ण साधन होता है जो जीवन स्तर के साथ-साथ सामाजिक पहचान को निर्धारित करता है। सामान्य रूप से कृषकों के आवासीय स्थिति में मिश्रित स्वरूप पाया गया है। इस प्रकार कोई वर्ग परीक्षण से परिणामों में सार्थकता पाई गई है अर्थात् आवास प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता होती है।

कृषि भूमि की स्थिति- ग्रामीण जीविका के लिए कृषि भूमि महत्वपूर्ण संसाधन एवं संपत्ति के रूप में शामिल की गई है। इसके बगैर ग्रामीण निवासियों का जीविका का अन्य कोई साधन नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कृषकों के द्वारा गैर कृषि क्षेत्र के लिए अनाज और खाद्यान्न की उपलब्धता तय की जाती है। जिससे संपूर्ण समाज भोजन की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कृषकों के पास कृषि भूमि का मापदंड निश्चित नहीं होता है। बल्कि विरासत में प्राप्त संसाधन होता है जिसका उपयोग पारंपरिक रूप से कृषि उपज के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। सामान्य रूप से कृषकों की अलग-अलग श्रेणी तय की गई है जिसमें प्रथम सीमांत एवं लघु कृषक द्वितीय मध्य कृषक इत्यादि शामिल है। तथा संपन्न कृषक जिनकी भूमि का आकर भी अलग-अलग होता है जिसकी विवेचना तालिका क्रमांक 08 में स्पष्ट की गई है-

तालिका क्रमांक 08: कृषि भूमि मात्रा की स्थिति

कृषि भूमि की मात्रा (एकड़ में)	आवृत्ति	प्रतिशत
2 एकड़ तक	66	18.86
2 से 5 एकड़ तक	79	22.57
5 से 8 एकड़ तक	142	40.57
8 एकड़ से अधिक	38	10.86
कोई उत्तर नहीं	25	7.14
कुल	350	100.00

स्रोत- प्राथमिक समंक

df = 4 का 5 प्रतिशत स्तर

$X^2 = 9.49$ T> 34.00 सार्थकता

अतः परिणाम में निर्भरता है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषि भूमि की मात्रा की दृष्टि से 18.86 प्रतिशत कृषकों के पास दो एकड़ तक 22.57 प्रतिशत कृषकों के पास 2 से 5 एकड़ तक 40.57 प्रतिशत कृषकों के पास 5 से 8 एकड़ तक तथा 10.86 प्रतिशत कृषकों के पास 8 एकड़ से अधिक कृषि भूमि पाई गई है। जबकि 7.14 प्रतिशत कृषकों ने उपलब्ध कृषि भूमि के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया।

अध्ययन में पाया गया है कि पारंपरिक व्यवसाय की दृष्टि से कृषि महत्वपूर्ण संसाधन है। जिन कृषकों के पास जितनी अधिक भूमि होती है वे अपने अधिक संपन्न माने जाते हैं जो उनके सामाजिक पहचान का प्रतीक होता है। काई वर्ग परीक्षण से परिणाम में सार्थकता पाई गई है। अर्थात् ग्रामीण परिवारों का मूल व्यवसाय कृषि संसाधन है जो भरण पोषण का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संसाधन होता है।

सिंचित भूमि की स्थिति- पारंपरिक रूप से भारतीय कृषि काफी पिछड़े रही है। वर्तमान में शासन की विभिन्न प्रकार की योजना के चलते सिंचाई क्षेत्र का विस्तार एवं विकास किया गया है। फिर भी कई क्षेत्रों में सिंचाई संसाधन के अभाव में पारंपरिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुआं ट्यूबवैल नदियां तालाब इत्यादि के रूप में कृषि सिंचाई के स्रोत के रूप में उपयोग में लाया जाता है। जिससे कृषि की पर्याप्त मात्रा में फसल ली जा सके वर्ष में सामान्य तौर पर दो प्रकार की फसलें ली जाती हैं। खरीफ की फसल एवं रबी की फसल ली जाती है। इसके अतिरिक्त कृषकों के पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जावद एवं उद्यानिकी रूप में कृषि कार्य किया जाता है। जिसकी विवेचना तालिका क्रमांक 09 में स्पष्ट की गई है-

तालिका क्रमांक 09: सिंचित कृषि भूमि की स्थिति

सिंचित कृषि भूमि की मात्रा (एकड़ में)	आवृत्ति	प्रतिशत
2 एकड़ तक	73	20.86
2 से 3 एकड़ तक	114	32.57
3 से 5 एकड़ तक	95	27.14
5 एकड़ से अधिक	68	19.43
कुल	350	100.00

स्रोत- प्राथमिक समंक

df = 3 का 5 प्रतिशत स्तर

$X^2 = 7.82$ P 4.40 सार्थकता का अभाव

अतः परिणाम में स्वतंत्रता है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषि भूमि के संचित होने की दृष्टि से 20.86 प्रतिशत कृषकों के पास 2 एकड़ तक 32.57 प्रतिशत कृषकों के पास 2 से 3 एकड़ तक 27.14 कृषकों के पास 3 से 5 एकड़ तक तथा 19.43 प्रतिशत कृषकों के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि सिंचित पाई गई है।

अध्ययन में पाया गया है कि सामान्यतः कृषकों के पास कुल उपलब्ध कृषि भूमि के अनुपात की दृष्टि से सिंचित कृषि भूमि की मात्रा कम पाई गई है। काई वर्ग परीक्षण से परिणाम में सार्थकता का अभाव पाया गया है। अर्थात् बेहतर आर्थिक स्थिति को निर्धारित करने में सिंचित कृषि भूमि का महत्वपूर्ण स्थान होता है।

वर्ष में ली जाने वाली फसल की स्थिति- सामान्यतः जिन कृषकों के पास सिंचाई संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वे वर्षा पर आधारित फसलों के अतिरिक्त अन्य विविध प्रकार की फसलें भी प्राप्त करते हैं। वर्षा आधारित खरीफ की फसल के अतिरिक्त रबी जायद एवं उद्यानिकी फसलें भी शामिल हैं। जिसकी विवेचना तालिका क्रमांक 10 में स्पष्ट की गई है-

तालिका क्रमांक 10: वर्ष में ली जाने वाली फसल की स्थिति

ली जाने वाली फसल	आवृत्ति	प्रतिशत
खरीफ	295/350	84.29
रबी	238/350	68.00
जायद	142/350	40.57
उद्यानिकी	108/350	30.86
औसत	196/350	57.71

स्रोत- प्राथमिक समंक

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष में कृषकों द्वारा ली जाने वाली फसल की दृष्टि से 84.29 प्रतिशत कृषकों द्वारा खरीफ की फसल ली जाती है 68.00 प्रतिशत कृषकों द्वारा रबी की फसल ली जाती है 40.57 प्रतिशत कृषकों द्वारा जायद की फसल ली जाती है तथा 30.86 प्रतिशत कृषकों द्वारा उद्यानिकी फसल ली जाती है इस प्रकार 57.71 प्रतिशत कृषकों द्वारा औसतन फसल ली जाती है।

अध्ययन में पाया गया है कि वर्ष में ली जाने वाली ज्यादातर फसलें पारंपरिक होती हैं जबकि संसाधनों के वर्तमान विकास के कारण वर्ष में पारंपरिक फसल के अतिरिक्त फसल लेने की सुविधा बड़ी है। इस प्रकार उद्यानिकी फसल का चलन भी बढ़ने लगा है।

कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त साधन की स्थिति- भारतीय कृषि मूल रूप से पारंपरिक संसाधनों का कृषि कार्य को संचालित करते रहे हैं। जिसके कारण भारतीय कृषकों की आर्थिक दशा काफी कमजोर रही है। वर्तमान में केंद्र एवं राज्य शासन की विविध योजनाओं के तहत कृषकों को प्रयुक्त संसाधन के लिए सुविधा एवं सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जिसमें कृषकों के लिए हल/ट्रैक्टर मोटर पंप इत्यादि के लिए अनुदान योजना उपलब्ध कराई जाती है। जिससे कृषकों द्वारा आधुनिक तकनीक आधारित कृषि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो सके। इस प्रकार कृषक वर्ग द्वारा पारंपरिक एवं आधुनिक तथा दोनों प्रकार की तकनीकी संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इसकी विवेचना तालिका क्रमांक 11 में स्पष्ट किया गया है-

तालिका क्रमांक 11: कृषि के लिए प्रयुक्त साधनों की स्थिति

साधन	आवृत्ति	प्रतिशत
परंपरागत	136	38.86
आधुनिक	125	35.71
दोनों	89	25.43
कुल	350	100.00

स्रोत- प्राथमिक समंक

df = 2 का 5 प्रतिशत स्तर

$X^2 = 5.99$ P 2.95 सार्थकता का अभाव

अतः परिणाम में स्वतंत्रता है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषि कार्य में प्रयुक्त संसाधन की दृष्टि से 38.86 प्रतिशत कृषकों द्वारा परंपरागत साधनों का उपयोग किया जाता है तथा 35.71 प्रतिशत कृषकों द्वारा आधुनिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है जबकि 25.43 प्रतिशत कृषि को दोनों प्रकार के संसाधनों का उपयोग किया जाता है।

अध्ययन में पाया गया है कि वर्तमान में कृषि के क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। जिसके चलते पारंपरिक संसाधन के साथ-साथ आधुनिक संसाधनों की उपयोगिता को बढ़ावा दिया जाने लगा है। इस प्रकार का वर्ग परीक्षण की दृष्टि से परिणाम में सार्थकता का अभाव पाया गया है। अर्थात् कृषकों द्वारा जिन संसाधनों का उपयोग किया जाता है। उपलब्ध संसाधनों के अनुपात में उपयोग में लाया जाता है।

कृषकों की वित्तीय स्थिति-कृषकों के द्वारा खेती को तैयार करने से लेकर उत्पादित फसल के विपणन तक के दौरान कई प्रकार की संभावना बनी रहती है। जिसकी भरपाई नियमित रूप से करनी होती है। इसके लिए स्वयं के पास जमा पूंजी का उपयोग करना होता है या ऋण लेकर इन में की पूर्ति की जाती है। क्योंकि सामान्य रूप से कृषकों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होती है। जिसके चलते उत्पादित फसल के विपणन पर ही निर्भर रहते हैं। जब फसल आती है तो आर्थिक दशा में कुछ बदलाव आता है। अन्यथा सामान्य रूप से आर्थिक संघर्ष ही बना रहता है जिसके लिए ऋण लेना कृषकों की मजबूरी होती है। इस प्रकार कृषि हेतु ऋण लेने की विवेचना तालिका क्रमांक 12 में स्पष्ट किया गया है-

तालिका क्रमांक 12: कृषि हेतु कृषकों द्वारा ऋण लेने की स्थिति

ऋण लेने की प्रवृत्ति	आवृत्ति	प्रतिशत
ऋण लेते हैं	305	87.14
ऋण नहीं लेते हैं	45	12.86
कुल	350	100.00

स्रोत-प्राथमिक समंक

df = 1 का 5 प्रतिशत स्तर पर

$X^2 = 3.84$ T 55.18 सार्थकता

अतः परिणाम में सार्थकता है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषकों को द्वारा ऋण लेने की दृष्टि से 87.14 प्रतिशत कृषकों द्वारा ऋण लिया जाता है तथा 12.86 प्रतिशत कृषकों द्वारा ऋण नहीं लिया जाता है।

अध्ययन में पाया गया है कि कृषि को द्वारा कृषि कार्य के मूल उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऋण लिया जाता है। सामान्य रूप से जिन कृषकों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है जिनकी बचत क्षमता नहीं के समान होती है। वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण प्राप्त करते हैं। काई वर्ग परीक्षण से परिणाम में सार्थकता पाई गई है। अर्थात् कृषक अपनी आवश्यकता एवं कृषि कार्य को पूरा करने के लिए ऋण लेते हैं।

कृषि की विपणन प्रक्रिया-कृषि उपज के उत्पादन के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कार्य उपज के विपणन की होती है। जिसे कृषकों द्वारा बाजार में बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का कार्य किया जाना होता है। कृषि विपणन से आशय उपज बोन से पूर्व की स्थिति से लेकर फसल को विपणन योग्य बनाने या खरीददार तक पहुंचाने की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। सामान्यतः यह देखा गया है कि कृषकों द्वारा फसल की मात्रा के अनुसार विक्रय हेतु तैयार किया जाता है। जिसके लिए अनुकूल मूल्य प्राप्त किया जा सके। प्रत्येक बाजार की उपज के संबंध में परिस्थितियों अलग-अलग होती है। जिसके लिए कृषक द्वारा स्थिति को समझते हुए उपज का विक्रय करना होता है। जिसमें कुछ कृषक अपनी उपज को आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने गांव में ही विक्रय कर देते हैं। कुछ कृषक उपज को खुले बाजार में विक्रय करते हैं। कुछ कृषक व्यापारी या आढ़तियों को सीधे विक्रय कर देते हैं। परंतु कुछ कृषक अपनी उपज का सही तथा विश्वसनीय मूल्य प्राप्त करने के लिए कृषि उपज मंडी में विक्रय करना उचित समझते हैं। इस प्रकार कृषक द्वारा उपज के विक्रेता के स्थान का निर्धारण करने के लिए स्वयं स्वतंत्र होता है जिसकी विवेचना तालिका क्रमांक 13 में स्पष्ट किया गया है-

तालिका क्रमांक 13: कृषि उपज के विपणन के स्थान की स्थिति

विपणन स्थान की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
स्थानीय	37	10.57
खुले बाजार में	74	21.71
कृषि उपज मंडी	194	55.43
व्यापारियों/आढ़तियों	43	12.29
कुल	350	100.00

स्रोत- प्राथमिक समंक

df = 3 का 5 प्रतिशत स्तर पर

$X^2 = 7.82$ T 51.28 सार्थकता

अतः परिणाम में सार्थकता है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषि उपज के विपणन की स्थान की दृष्टि से 10.57 प्रतिशत कृषक अपने उपज को स्थानीय स्तर पर बेच देते हैं 21.71 प्रतिशत कृषक उपज को खुले बाजार में बेचते हैं 55.43 प्रतिशत कृषक कृषि उपज मंडी में बेचते हैं तथा 12.29 प्रतिशत कृषक व्यापारी या आढ़तियों को बेच देते हैं।

जिन कृषकों की उपज की मात्रा कम होती है वह अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर पर बेचना पसंद करते हैं। क्योंकि उपज की मात्रा कम होने के कारण परिवहन लागत अधिक होने के कारण स्थान स्तर पर बेचे अधिक पसंद करते हैं। जिन कृषकों के पास उपज की मात्रा अधिक होती है तथा आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। वह उपज के बढ़ते मूल्य का इंतजार करते हैं जब उन्हें लगता है कि मूल्य बढ़ा हुआ प्राप्त हो रहा है तो बाजार में बेचना पसंद करते हैं। इस प्रकार ज्यादातर कृषक उचित मूल्य प्रति के लिए कृषि उपज मंडी में बेचना पसंद करते हैं। काई वर्ग परीक्षण के परिणाम में सार्थकता पाई गई है। अर्थात् कृषक वर्ग अपनी आर्थिक आवश्यकता तथा मूल्य को ध्यान में रखकर उपज का विक्रय करते हैं।

निर्धारित मूल्य पर कृषि उपज के विपणन की स्थिति- प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में कृषि उपज के मूल्य के निर्धारण में काफी चुनौतियां होती हैं। ऐसी दशा में कृषक द्वारा उपज को बेचा जाना है या नहीं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना होता है। कई बार कृषकों की इच्छा अनुसार उपज का

उचित मूल्य नहीं प्राप्त हो पाता है। ऐसी दशा में कृषक अपनी उपज को कम मूल्य पर बेचने के लिए विवश हो जाता है। इसके बावजूद कृषकों को अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपज को बेचना पड़ता है। इसकी विवेचना तालिका क्रमांक 14 में स्पष्ट किया गया है-

तालिका क्रमांक 14: कृषि उपज के निर्धारित मूल्य पर विक्रय की स्थिति

निर्धारित मूल्य पर विक्रय	आवृत्ति	प्रतिशत
निर्धारित मूल्य पर विक्रय होता है	132	37.72
निर्धारित मूल्य पर विक्रय नहीं होता है	165	47.14
कोई उत्तर नहीं	53	15.14
कुल	350	100.00

स्रोत- प्राथमिक समंक

df = 2 का 5 प्रतिशत स्तर पर

$X^2 = 5.99$ T 17.20 सार्थकता

अतः परिणाम में निर्भरता है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषि उपज के निर्धारित मूल्य पर किए जाने की दृष्टि से 37.72 प्रतिशत कृषि को के अनुसार कृषि उपज निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है तथा 47.14 प्रतिशत कृषकों के अनुसार कृषि उपज निर्धारित मूल्य पर नहीं देखा पाती है जबकि 15.14 प्रतिशत कृषकों ने कोई उत्तर नहीं दिया है।

अध्ययन में पाया गया है कि कृषकों द्वारा भेजी जाने वाली उपज के संबंध में बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर कृषि उपज के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। जिससे कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके परंतु कृषकों द्वारा अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए खुले बाजार में कृषि उपज को बेचा जाता है। काई वर्ग परीक्षण से परिणाम में सार्थकता पाई गई है। अर्थात् बाजार एवं उपज की परिस्थितियों मूल्य को तय करती है।

कृषि उपज के उचित मूल्य प्राप्ति की स्थिति- कृषि उपज के नीलामी के दौरान मूल्य का निर्धारण किया जाता है जिससे उपज का मूल्य विपणन हेतु अनुबंध किया जाता है क्योंकि कृषि उपज मंडी में लाई जाने वाली उपज की गुणवत्ता एवं उपलब्धता के आधार पर नीलम की अंतिम बोली के पश्चात जो मूल्य तय होता है उसे मूल्य को अंतिम मूल्य माना जाता है इसके बावजूद कृषकों के लिए कई बार प्राप्त मूल्य उपज के अनुरूप नहीं होता जिसकी विवेचना तालिका क्रमांक 15 में स्पष्ट की गयी है-

तालिका क्रमांक 15: कृषि उपज के उचित मूल्य प्राप्ति की स्थिति

उचित मूल्य	आवृत्ति	प्रतिशत
उचित मूल्य प्राप्त होता है	74	21.14
उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है	141	40.29
कोई उत्तर नहीं	135	38.57
कुल	350	100.00

स्रोत- प्राथमिक समंक

df = 2 का 5 प्रतिशत स्तर पर

$X^2 = 5.99$ T > 6.48 सार्थकता

अतः परिणाम में निर्भरता है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषि उपज का उचित मूल्य प्रति की दृष्टि से 21.14 प्रतिशत कृषकों के अनुसार उपज का उचित मूल्य प्राप्त होता है तथा 40.29 प्रतिशत कृषकों के अनुसार उपज का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है जबकि 38.57 प्रतिशत कृषकों ने कोई उत्तर नहीं दिया है

अध्ययन में पाया गया है कि कृषि उपज के उचित मूल्य प्राप्ति के लिए कृषकों द्वारा सतत रूप से प्रयास किया जाता है सामान्यतः कृषि उपज मंडी परिसर में सरकार द्वारा जारी की गई न्यूनतम समर्थन मूल्य की सूची के अनुसार कृषकों को मूल्य का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार काई वर्ग परीक्षण की दृष्टि से परिणाम में सार्थकता पाई गई है। अर्थात् उचित मूल्य की स्थिति न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर तय होती है जो कृषकों को भुगतान योग्य माना जाता है।

निष्कर्ष- वर्तमान शोध पत्र के अध्ययन विदिशा जिले की लटेरी कृषि उपज मंडी क्षेत्र तथा राजगढ़ जिले की ब्यावरा कृषि उपज मंडी क्षेत्र के कृषकों पर केंद्रित करते हुए कृषि के क्षेत्र के विकास में योगदान का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। जिसमें कृषि उपज मंडी क्षेत्र लटेरी के 150 कृषक तथा कृषि उपज मंडी क्षेत्र ब्यावरा के 200 कृषकों का देव निदर्शन विधि के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा कृषि संबंधी विभिन्न गतिविधियों के संबंध में कृषि विपणन से संबंधित विविध गतिविधियों तथा विविध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिक्रिया जानी गई है।

सामान्यतः कृषक वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित होते हैं। जो पारंपरिक आर्थिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र का मूल रोजगार कृषि आधारित होता है। जिस पर प्रत्येक निवासियों का जीवन यापन निर्भर रहता है। वर्तमान में परिवर्तन के दौर में अर्थव्यवस्था पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव देखा गया है। जिसमें नई-नई तकनीकी के तथा नवाचारों को बढ़ावा दिया जाने लगा है।

कृषकों की आयु अनुभव एवं परिपक्वता की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है जैसे-जैसे आयु में परिवर्तन होता है वैसे-वैसे सोच एवं समझ में भी बदलाव आता है कृषक वर्ग द्वारा अपनी उपज की विपणन के लिए कृषि उपज मंडी में लाते हैं साथ ही मूल्य परिवर्तन का अधिक ध्यान रखते हैं अर्थात् परिवर्तन के साथ-साथ अनुभव और जानकारी के आधार पर कृषि उपज का उत्पादन एवं विपणन करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. भारत सरकार 'कृषि सांख्यिकी' कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली, 2021
2. भारतीय एवं पांडे 'भारतीय अर्थव्यवस्था' मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2019
3. एस.के. मिश्रा एवं वी.के. पुरी 'भारतीय अर्थव्यवस्था' हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुंबई, 2022
4. एन एल अग्रवाल 'भारतीय कृषि का अर्थ तंत्र' राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2018
5. कृष्ण कुमार दमाहिया 'कृषि विकास की समस्या' मितल पब्लिकेशंस से नई दिल्ली, 2001
6. रुद्र दत्त एवं सुंदरम 'भारतीय अर्थव्यवस्था' एस चंद्र एंड कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली, 2019
7. जिला सांख्यिकी पुस्तिका राजगढ़ जिला, जिला योजना विभाग, राजगढ़, 2021
8. जिला सांख्यिकी पुस्तिका विदिशा जिला, जिला योजना विभाग, विदिशा 2020
9. एस.के. चौधरी मध्यप्रदेश में कृषि विकास के आयाम 2021

10. मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, मध्य प्रदेश राज्य कृषि
विपणन बोर्ड भोपाल 2005

दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाओं की सूची:-

1. दैनिक भास्कर, इंदौर

2. दैनिक भास्कर, भोपाल

3. दैनिक पत्रिका, इंदौर

4. दैनिक नई दुनिया, इंदौर

5. दैनिक जागरण चौथा संसार, इंदौर
